संख्या-107/2025/।/971387/2025/71-1002/17/2024

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊः दिनॉक 23 मई, 2025**

विषयः-वित्तीय वर्ष 2025-26 में निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन कार्य हेतु चतुर्थ किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या–एमई/बजट/2025-26/68, दिनांक 15.05.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन कार्य हेतु उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध कराते हुए द्वितीय किश्त के रूप में वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-29-अनुरक्षण में महानिदेशक के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि में से रू0 500.00 लाख की धनराशि निर्गत करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-63/2024/।/520981/2024/71-1002/17/2024, दिनांक 15.03.2024 द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) हेतु रेनोवेशन कार्य हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आंकलित लागत रू0 1303.96 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति तथा परियोजना की प्रथम किश्त के रूप में रू0 200.00 लाख एवं शासनादेश संख्या-159/2024/।/821090/2024/71-1002/17/2024, दिनांक 12.12.2024 द्वारा रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। पुनः शासनादेश संख्या-24/2025/।/877404/2025/71-1002/17/2024, दिनांक 11.02.2025 द्वारा निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) के रेनोवेशन कार्य हेतु रू0 1952.81 लाख की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत की गयी है। संख्या-

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

57/2025/I/912069/2025/71-1002/17/2024, दिनांक 21.03.2025 द्वारा रू0 500.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। इस प्रकार प्रश्नगत कार्य हेतु पुनरीक्षित लागत रू0 1952.81 लाख के सापेक्ष अब तक विभिन्न शासनादेशों के माध्यम से कुल रू0 1200.00 लाख की धनराशि निर्गत की जा चुकी है तथा परियोजना हेतु रू0 752.81 लाख की धनराशि निर्गत किया जाना शेष है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि **निदेशालय, चिकित्सा शिक्षा एंव प्रशिक्षण को किसान बाजार, विभूतिखण्ड गोमतीनगर, लखनऊ में शिफ्ट किये जाने के दृष्टिगत उसके मल्टीपरपज हाल (द्वितीय तल हाल नं0-1 व 2) के रेनोवेशन कार्य** हेतु पी0एफ0ए0डी0 द्वारा आकलित पुनरीक्षित लागत रू0 1952.81 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2025-26 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में लेखाशीर्षक-2210-05-001-03-निदेशन तथा प्रशासन के मानक मद-29-अनुरक्षण में महानिदेशक के निर्वतन पर रखी गयी धनराशि **रू0 500.00 लाख (रू0 पॉच करोड़ मात्र)** की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने की राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबन्धों

1. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यो/मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्ही अन्य कार्यो/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

3. अवमुक्त धनराशि का आहरण आवश्यकतानुसार करते हुए व्यय नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैंक खाते में नही रखा जायेगा।

4. प्रश्नगत कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति से शासन को प्रत्येक माह अवगत कराते हुए यथासमय कार्यदायी संस्था/मेडिकल कालेज के सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करते हुए निर्धारित प्रपत्र पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र शासन/महालेखाकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

5. महानिदेशक द्वारा किसान बाजार के भवन हेतु किये गये रेंट एग्रीमेण्ट/लीज की शर्तो/प्रतिबन्धों का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। महानिदेशक उक्त रेट एग्रीमेण्ट/लीज में अनुमन्य सीमा/अधिकार से अधिक धनराशि खर्च नहीं करेंगे।

6. यदि प्रश्नगत परियोजना/कार्य की सम्परीक्षा में केाई प्रतिकूल तथ्य आता है तो उसका उत्तरदायित्व महानिदेशक/कार्यदायी संस्था का हेागा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7. परियोजना से सम्बन्धित पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-24/2025/।/877404/2025/71-1002/17/2024, दिनांक 11.02.2025 में उल्लिखित शेष शर्तों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27.03.2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या/तद्दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3. परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0 प्रोजेक्ट कारपोरेशन लि0, लखनऊ।
4. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन।
5. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

मनोज कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।